

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक ~~रेस्टोरेशन 5309/2008~~ ~~वैतु 21/08~~


श्री. सी. डेवीकांत 30910 विरुद्ध शासन
 तहसील जिला बूंदेलखंड

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-12 Roshni	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. के विरुद्ध श्री के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार</p> <p>अभिभावक श्री अजय कुमार पांडे उर्फ उर्फ रेस्टोरेशन अभिभावक पर शुका गंगा विचारों उपरान्त रेस्टोरेशन अभिभावक पर पंजीकार किया जाता है। इस प्रकार पुनः शुल्क देते निम्न किया जाता है प्रकरण</p> <p>दाखिल रिकार्ड है। अध्याक्ष</p>	



क्रमांक पुनर्स्थापन - 5309/2018/बू (ल/भू-२)

राजस्थान प्रशासन श्रीमान् महोदय राजस्थान पुलिस भवन
जयपुर-402 PBR/18

ATC. (ए. पी. जी.) _____ अधिकारी
की

म.प. शासन के मध्य _____ अधिकारी

प्रमाण को सुरक्षा के लिए पाठे व प्र.

भारत में भेजे गये हैं-

1) यह कि उक्त प्रमाण भाग बिना ही सुरक्षा के
बिना था।

2) यह कि काली बाग क्षेत्र के मातृ अस्पताल में प्रमाण
भाग सुरक्षा के प्रशासन के सुरक्षा के समय
उप. व. ही तक ही बिना भाग प्रमाण में बिना
का लिए गये।

3) यह कि अस्पताल में उक्त प्रमाण बिना
सुरक्षा के।

प्रमाण
किसी भारतीय प्रशासन के अधिकारी की उक्त प्रमाण का
यह सुरक्षा के लिए पाठे पाठे प्रशासन के लिए

मोहान
दिनांक 28/8/18

अधिकारी
किसी अधिकारी